

नीतिगत निर्णय

(दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 से)

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाने का प्रस्ताव को 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में पारित किया गया है। इस बाबत राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना दिनांक 22.02.2019 को जारी कर दी गई है।